

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

निविदा सूचना

नगर निगम देहरादून अपने वाहन कार्यशाला मयूर विहार (वर्कशॉप) में पुराने वाहनों से निकले हुये स्पेयर पार्ट्स, सी0पी0 बिन्स, पुराने कन्टेनर ट्रेलर, ट्रेक्टर कन्टेनर बिन्स, पुराने कन्डम टैंकर, वाहनों से निकली कन्डम बैटरियाँ (विभिन्न साईज) की नगर निगम के वाहनों से उतरे कन्डम पुराने टायर (विभिन्न साईज), पुराने कन्डम रिक्शे, पुराने कन्डम डी0पी0 बिन्स, सी0पी0 बिन्स, कूड़ा वाहनों से उतरे पुराने पार्ट्स आदि की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके लिये निविदा फार्म, नीलामी सामग्री का विवरण व शर्तें रू0 1000+14.5 प्रतिशत वैट देकर दिनांक 04/01/17 से दिनांक 25/01/17 की अपराहन 05:00 बजे तक सभी कार्य दिवस में वाहन कार्यशाला से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा दिनांक 23/01/17 की अपराहन 3-00 बजे तक स्वास्थ्य अनुभाग कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है जो उसी दिन साँय 4-00 बजे खोली जायेगी, निविदादाता चाहे तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। दरों के साथ रू0 1,00,000/-की सी0डी0आर0 धरोहर के रूप में वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम देहरादून के नाम संलग्न करनी अनिवार्य है। निविदा सूचना एवं विवरण नगर निगम देहरादून की वेबसाईट <http://nagarnigamdehradun.com> पर भी उपलब्ध रहेगा प्रपत्र डाऊन लोड कर निर्धारित शुल्क व वैट की धनराशि के ड्राफ्ट के साथ भी आवेदन किया जा सकता है।

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांक सं0. 1293 (क)

दिनांक 02-01-2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।


1. नगर आयुक्त महोदया को उनके आदेश के क्रम में सूचनार्थ।
2. सम्पादक-द पायनियर समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन नियमानुसार आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. द ट्रिव्यून समाचार पत्र को इस आशय से की उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन नियमानुसार आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. आई0टी0 आफिसर को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर डाऊनलोड करना सुनिश्चित करें।
5. जिलाधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड में चश्चा हेतु।
6. नगर निगम कार्यालय नोटिस बोर्ड में चश्पा हेतु।

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।

निविदा निष्प्रयोज्य सामग्री

निविदा शुल्क रू0 1000+14.5 प्रतिशत वैट सहित।

क्र0 सं0	निष्प्रयोज्य सामग्री का नाम	विवरण	दरें।
1.	कन्टेनर ट्रैलर - 2	प्रति नग	
2.	पुराने कन्डम टैंकर - 3	प्रति नग	
3.	वाहनों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की बैटरियों के साईज के अनुसार	प्रति नग	
4.	पुराने कन्डम टायर (सलग्न प्रफॉर्मा के अनुसार)	प्रति नग	
5.	पुराने कन्डम डी0पी0 बिन्स/सी0पी0 बिन्स	प्रति किलो	
6.	वाहनों से निकले हुये पुराने स्पेयर पार्ट्स।	प्रति किलो	

अध्यक्ष 
नगर निगम देहरादून।

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।

निविदादाता
हस्ताक्षर


टायरों के साईज विवरण


वाहन का प्रकार	आगे के टायर-ट्यूब-फ्लैप साईज				पीछे के टायर-ट्यूब-फ्लैप साईज			
	साईज	प्लाइ	संख्या	दर प्रति नग	साईज	प्लाइ	संख्या	दर प्रति नग
जे0सी0बी0 मशीन 03 डी0एक्स	900-16	12			16-9-28	12		
जे0सी0बी0 मशीन 03 डी0एक्स	12.50-80.18				14.00-25			
ट्रेक्टर	6.00-16	06			12-4-28	12		
लोडर	7-50-16	16			13.00-24	12		
पशु वाहन	7-50-16	16			7-50-16	16		
डम्पर प्लेसर	7-50-16	16			7-50-16	16		
हाईवा	10.00-20	16			10.00-20	16		
डी0पी/डम्पर	8.25-20	16			8.25-20	16		
बुल लोडर	9.5-24	08			16.9-28	12		
कन्टेनर कैरियर	900-16							
ट्रक/ट्रॉली	900-16							
बेलेरो कार	235-टीएम आर 15 रेडियल							
टाटा एस	145 आर 12 एल टी 86/840,155-80 12							
टैम्पो	4.00/8							
एम्बेसडर कार	165-80-15 रेडियल							
बॉबकेट	10-16.5 हैवी ड्यूटी							
जे0सी0बी मशीन 2 डी0एक्स	7.50-16				14.00-24	16		
महिन्द्रा ट्रेक्टर 0575 डी0आई	6.00-16				13-6-28			
टाटा जिन्नॉन	215/75 R 16 C							

निविदा शर्ते

- 1.रू0 1,00,000 (एक लाख) की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम देहरादून के नाम प्लेज होगी।
- 2.चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित कर लगानी अनिवार्य होगी।
- 3.पेन नं0 देना अनिवार्य होगा।
- 4.केन्द्रीय बिक्रीकर में स्क्रेप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 5.टैण्डर दाता की दरें स्वीकृति होने की बीस दिवस के अन्दर समस्त धनराशि जमा कराकर स्क्रेप सामग्री उठानी होगी अन्यथा फर्म की जमानत राशि जब्त कर दी जायेगी।
- 6.टैण्डर के साथ उपरोक्त सभी शर्ते संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7.माल के उठान के साथ-साथ वजन के सापेक्ष स्वीकृत दरों के अनुसार धनराशि निगम में जमा करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तो को पूरा करने वाली फर्म का टैण्डर मान्य होगा,किसी भी टैण्डर/निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदया नगर निगम देहरादून में निहित होगा।


अध्यक्ष नीलामी समिति
नगर निगम देहरादून।


वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।